भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1013

जिसका उत्तर सोमवार, 10 फरवरी, 2025/21 माघ, 1946 (शक) को दिया गया

बैंकों में जियो-टैगिंग का कार्यान्वयन

1013. श्री शंकर लालवानी:
श्री अनुराम शर्मा:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार लघु बैंकों या क्षेत्रीय संस्थानों हेतु जियो टैगिंग तकनीक के कार्यान्वयन की लागत को पूरा करने के लिए बैंकों को वित्तीय सहायता अथवा प्रोत्साहन प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा बैंकों में जियो टैगिंग का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु तैयार की जा रही योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग) : लघु बैंकों अथवा क्षेत्रीय संस्थाओं के लिए जियो-टैगिंग तकनीक को लागू करने की लागत को कवर करने के लिए सरकार अथवा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा बैंकों को कोई विशिष्ट वित्तीय सहायता अथवा प्रोत्साहन प्रदान नहीं दिया जा रहा है। हालाँकि, आरबीआई ने 25 मार्च, 2022 के परिपत्र के माध्यम से डिजिटल भुगतान अवसंरचना की निगरानी और पहुंच को बढ़ाने के लिए के लिए भुगतान प्रणाली टच पवाईट के जियो टैगिंग का एक संरचित ढांचा पेश किया है।

*****